RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : KANPUR HO/002/2025-27
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

फरवरी-2025 | वर्ष - 17 | अंक : 01 | मूल्य : 5/-

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (सहा.अभि. जलकल विभाग), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश :
सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.), मो.: 9935363730, 9170836363
योगेन्द्र कुमार (ब्यूरो चीफ चित्रकूट मण्डल) मो.: 8299162841
हमीरपुर ब्यूरो प्रमुख -
रघुवर प्रसाद, मो.: 9793739030
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख लखनऊ मण्डल :
राजकुमार, उन्नाव
मो.: 9889273743, 9392660070
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य : ब्यूरो प्रमुख
रमा गजभिये, मो.: 7828273934
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001,
मो. : 09887512360, 0144-3201516
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक
पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020
IFSC CODE-SBIN0001784

साहित्य में दलित चेतना

साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो कुछ समाज में घटित होता है उसका प्रभाव साहित्य में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। साहित्य में सबसे पहले ''दलितों'' पर अपनी लेखनी प्रेमचन्द ने चलाई। इन्होंने चमार, डोम, बढ़ई, लुहार अनेक जातियों का सूक्ष्म विवरण अपने साहित्य में किया। अछूत होना कितना पाप है इस देश में, इससे पूरे देश को अवगत करवाया। इसके बाद ग्रामीण जीवन का सूक्ष्म अध्ययन साहित्य में प्रेमचन्द के पश्चात शिवप्रसाद सिंह ने किया। इन्होंने भी दलित जातियों कोली, डोम, नट, चमार, धोबी, बढ़ई, जुलाहा आदि का सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन अपनी कहानियों में किया है, कि किस प्रकार समाज में इस जाति को अछूत माना जाता है। यहाँ तक कि उच्च जाति के लोग अपने घरों के आस-पास भी नहीं मडराने देते। इन्हे हर-पल ब्राह्मण राजपूतों का डर लगा रहता है और जातियों में चाहे चमार, धोबी, कोली, चूहड़े, कोई भी हो उन्हे व्यवसाय के अनुसार काम करने को मिलता है। और वह अपना भरण पोषण भी इसी व्यवसाय से करते हैं। खाली पेट एक गाँव से दूसरे गाँव घूमते हैं। कुएँ पर कोई जाने नहीं देता, स्टेशनों पर दहाड़ी(मजदूरी) करने के लिए उन्हे कोई नहीं पूछता मुसहर चमार गरीब हैं सही पर उन्हे करने को नीचा, ऊँचा काम तो मिल जाता है। हम कहाँ जाय सरकार हमारी देह में तो तो ऐसी छूत भरी है कि कोई खाद गोबर फैंकने का काम भी नहीं करने देता। इस प्रकार दलित डोम गाँव में जाकर ऊँची जाति के घरों में शादी ब्याह में जूठी पत्तलें इक्ट्ठी करने का काम करते हैं। और इन्हीं झूठी पत्तलों से जूठा खाना खाकर ही अपना पेट भरते थे। भारत देश में दलितों की इससे बड़ी क्या विडम्बना होगी, कि एक मनुष्य को कुत्तों के समान पत्तल चाटने तक मजबूर किया जाता है। कहानी में फूली और उसकी माँ का दरिद्रिक चित्रण इस प्रकार है। गली के मोड पर या किसी गन्दे घूरे के पास लोगों की पहुँच से परे ताकि अनजाने में भी कही किसी पर उनकी छाया न पड़ जाये। फूली अपनी माँ के पास चिपकी हुई बैठी रहती, जीवन वालों की पातें बैठती खाकर उठती बारी या नाई जूठे पत्तल उठाकर फूली और उसकी माँ के सामने फेंक देते फूली बगल से सौटा खींचकर चौकन्नी खड़ी हो जाती पत्तल पर टूट पड़ने के लिए उतारू कुत्तों को वह सोटा हिला-हिलाकर धमकती और उसकी माँ जूठे पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़ों, बची खुची तरकारियों, मिठाइयों के चूरे और दही चीनी के सीरे को काछ-काछकर अलग-अलग हंडियों मे जमा करती जाती। जय हो जजमान। तनिक डोम वाँ के एक टुकड़ा सरकार।'' दलितों के मन में अर्न्तमन से सदियों से डर घुसा हुआ है। यह डर रूढ़वादी समाज की व्यवस्था की देन है। इसीलिए आज भी एक दलित अपने विचारों को खुल कर नहीं कह पाता, अपने अधिकारों के प्रति आवाज नहीं उठा पाता, आज भी स्वाधीनता के पाँच दशक बाद भी गाँव का एक अनपढ़ सवर्ण भी दलितों का शोषण करता है क्योंकि वह निडर है। अर्थात दलितों को अपनी मजूरी तक नहीं मिलती, और न ही उच्च वर्ग के डर के कारण वह अपनी मजूरी ले जाते हैं। एक छोटा कीड़ा भी दबने के भय से प्रतिक्रिया करता है। दलित वर्ग के लोग सदियों से दबाये जाते हैं, परन्तु कभी उफ तक नहीं किया। क्या इनमें जीव का संचार नहीं है। परम पूज्नीय बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर जो स्वयं दलित थे, जिन्होंने दलित होने की पीड़ा को सहन किया था, इन्होने पूरी तरह से सनातनी व्यवस्था पर चोट की, लोगों के आत्म सम्मान को जगाया। उन्हे यह सोचने पर मजबूर किया कि आदमी सभी एक है, हर आदमी की अपनी इज्जत मान मर्यादा और सामाजिक प्रतिष्ठा होती है।

दलित महिला को सजग होकर अपने अधिकारो व अपने ऊपर हो रहे शोषण का डटकर मुकाबला करना होगा। हमें ऐसी व्यवस्था के विरूद्ध लड़ना है जो श्रम के महत्व को नकारती है, कोई चमड़े का काम करता है तो वह अछूत है, और जो निष्क्रीय होकर दूसरों के श्रम की कमाई खाता है वह पूज्य है कोई खेत में खून पसीना बहाता है सारी दुनियाँ की क्षुदा की तृप्ति करता है वह मजदूर है जो अस्पृश्य है और निष्काम बैठा है वह मालिक है शोषण कर्ता मालिक और कार्यकर्ता मजदूर जिसे उसके श्रम का मूल्य भी नहीं दिया जाता है।

अतः दलित चेतना को पूर्ण रूप से उजागर करने के लिए हमें अपने बच्चों व समाज को जैसे भी हो शिक्षित करना पड़ेगा। शिक्षा का तात्पर्य है, सोचने की क्षमता पैदा करना, आत्मसम्मान को जगाना। शिक्षा के ही संगठन सम्भव हैं। संगठन को मजबूत बनाने के लिए रूढ़वादी व्यवस्था से लड़ने के लिए मजबूत प्रगतिशील संगठन की आवश्यकता है। संगठन से शक्ति होती है, संगठन में आवाज होती है, संगठन से ही शक्ति मिलती है।

साभार :
शिवराम सिंह सागर
सी-411, हर्ष विहार, बदरपुर, नई दिल्ली
सहा० ब्यूरो चीफ दिल्ली प्रदेश

उत्पत्ति एवं विकास सम्बन्ध विविध अवधारणाएं

वास्तव में 'चमार' शब्द में प्रयुक्त अक्षरों की व्याख्या करते हैं तो कहीं पर किसी जाति विशेष का बोध नहीं होता।

च = चर्म
म = मज्जा
अ = अस्थि
र = रक्त
चमार = मानव

इसका स्पष्ट अर्थ है कि सभी मानव चमार हैं। परन्तु कालान्तर में इसे चमड़े के व्यवसाय से जोड़ दिया गया। इस कार्य को करने वालो को 'चमार' नाम से संबोधित किया जाने लगा। इन लोगों के लिए यह जाति नाम जन्मना रूप हो गया। इसमें पैदा होने वाला चाहे कितना भी बड़ा राजनेता या अधिकारी बन जाए, दूसरे लोग उसे चमार ही समझते हैं। चर्मकार अथवा चमार जाति उतनी ही प्राचीन है, जितना कि ऋग्वेद। 'चर्मकार' शब्द के लिए ऋग्वेद में 'चर्मना' शब्द का प्रयोग हुआ है (ऋग्वेद 5, 3, 8, 9, 3, 5, 5) में कुछ नीची जातियों का वर्णन है, जिसके दूसरे भाग में कुम्भकार, नाई, जुलाहा, चर्मकार आदि का वर्णन है। 'दि चमार के लेखक जी. डब्ल्यू. बिग्स ने भी इसका समर्थन किया है। मनु ने निषाद पुरुष और विदेह नारी के संसर्ग से चमार या करावर जाति की उत्पत्ति मानी है (मनु विश्व–कोष 10/26) चर्मकार की उत्पति के रूप निम्न हैं –

ब्राह्मण पुरुष + शूद्र नारी = निषाद पुत्र
वैश्य पुरुष + शूद्र नारी = वैदेही नारी
निषाद पुरुष + वैदेही नारी = करवार अर्थात् चमार

मनुस्मृति में ही दूसरा उल्लेख मिलता है, जिसमें मछुआरा जाति के पुरुष तथा चाण्डाल जाति की स्त्री से पैदा हुई संतान को चमार बताया गया है।

हिन्दू–शास्त्रों में चर्मकारों को डबल 'वर्ण शंकर' लिखा है। यह भी उनके आर्य कुल संभूत न होने का सबूत है। याज्ञवल्क्य स्मृति (अ.1, श्लोक 53) में और मनु (अ.10, श्लोक–11) में 'सूत' नामक एक प्रतिलोम वर्ण संकर का नाम लिखा गया है, जो क्षत्रिय के वीर्य से ब्राह्मण–कन्या में पैदा हुआ –

क्षत्रियात विप्र कन्या सूतो भवति जातितः।

इस 'सूत' से महर्षि उशना के लेखकानुसार, ब्राह्मण लड़कियों में वेणुक अथवा शफोड या भंगी और क्षत्रिय की लड़की से चमार पैदा हुआ। यथा–

सूत्राद विप्रकन्यायां जातो 'वेणुक' उच्यते।
वृपया मेव तस्यव जातो यः 'चर्मकारकः'।।(औश. 4)

इस प्रकार चमार और बंसफोड़ का पिता एक ही सूत (वर्ण संकर) है, सिर्फ माताएँ अलग–अलग हैं। किन्तु इन दोनों (बंसफोड और चमार) की गणना अन्त्यजों व अछूतों में की गई है, क्योंकि ये डबल प्रतिलोम वर्ण संकर है।

डॉ. देवी सिंह ने चमार की उत्पत्ति के संबंध में अन्य अवधारणा का उल्लेख किया है– ''चंवर वंश का वर्णन ईसा पूर्व छठी शताब्दी के आस–पास 295 भिक्षुओं की लिखी हुई कविताओं का एक संग्रह हमें ''खुद्दक निकाय के थेर गाथा ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही कहा गया है कि गिरी गछर में दहाड़ने वाले, सिंहों की भावना वाले, स्थाविरों की गाथाओं को सुनो अर्थात् यह कविता संग्रह 'चंवर वंश' की प्रमाणिकता सिद्ध करता है।
''न जार जातस्य ललालट श्रृगें प्रसूतस्य न पाणि पद्मम।
यदा–यदा मुचति वाक वाणं, तदा–तदा जाति कुल प्रमाणम्।।

जाट या निम्न कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति के मस्तक परी सींग नहीं होते और न ही श्रेष्ठ कुल में पैदा होने वाले के हाथ में कमल का फूल होता है। जैसे–जैसे व्यवहार में वे अपनी बोल–चाल एवं क्रियाकलाप करते हैं, वैसे–वैसे उनकी जाति और कुल स्वतः प्रमाणित हो जाते हैं।

'जन्मना जायते शूद्रः अर्थात् जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं। श्री चंवर पुराण तथा भक्त चेता (श्री माखनदास, मु.खड हुरिया, जिला आरा) मध्य प्रदेश में चमार जाति को, जो पूर्व में चंवर कुल के नाम से प्रसिद्ध थी, सूर्यवंशी माना है। इस वंश का वर्णन महाभारत के अनुशासन पूर्व में इस प्रकार आया है –

मेकला, द्रविड़ लाटा, पौड़ा, कोन्ध शिरा अस्तया।
सोडिका, दर्दा, दर्व, चांवरा शर्वरा वर्धरा।।
किराता, पवना, रचैत, तथ्तः क्षत्रिय जातयः।
ब्रह्म लर्त्व मनु प्राप्त ब्राह्मणः नाम दर्शनात।।

इस प्रकार चंवर वंश की प्रमाणिकता चंवर पुराण में ब्रह्मा के पुत्र नारद ने चंवर वंश की व्याख्या की, जो इस प्रकार है– सतयुग के आदि में द्विज वंश में चंवर वंश का राजा चंवर सैन शासन करता था। इस वंश ने दो करोड़ छप्पन लाख नौ सौ पच्चीस वर्ष तक शासन किया। राजा चंवर सेन चक्रवर्ती राजा थे। इन्होंने चार सौ चौंतीस वर्ष नौ महीने सत्तर दिनों तक राज्य किया। अम्बारिका के राजा अम्बारिष्ट की कन्या इनको ब्याही थी, जिससे कमल सैन, ब्रह्म सैन, रति सैन इत्यादि छप्पन पुत्र और तेरह कन्याएं पैदा हुई। कमल सैन को कली विलय देश के राजा मृत्युकगेश की कन्या ब्याही गई।

मृत्युकगेश महान तपस्वी था। शंकर भगवान उस पर प्रसन्न हुए। चंवर वंश के अन्तिम राजा चामुण्ड राय थे, जिसने मद्रसैन की 972वीं पीढ़ी में जन्म लिया था। चामुण्डराय के पिता का नाम सूर्य सैन था। माता का नाम सुनीता था। चामुण्डराय की पत्नी का नाम राजकुमारी बिनितिया था। इनको चमुण्ड ऋषि कहकर पुकारा गया।.. .. कलयुग में भक्त चेता, भक्त हरिनन्द, भक्त राहू, भक्त रविदास इसी वंश में उत्पन्न हुए हैं।

किशनचन्द गांधी द्वारा लिखित पुस्तक रविदास का जीवन–चरित्र चमार वंश का प्रमाण सिकन्दर लोधी के शासन काल के तहत् भक्त चेता, भक्त राहु तथा सन्त शिरोमणि भक्त रविदास की शीशदास गोत्र में चमार वंश में उत्पत्ति लिखी है। चमार जाति की उत्पत्ति संबंधी अन्य अवधारणा का उल्लेख श्री नफे सिंह ढिलोढ़ ने 'चार्वाक धर्म से जोड़ा है, क्योंकि चावकि धर्म नास्तिक धर्म है और आत्मा–परमात्मा, धर्म तथा स्वर्ग–नरक कुछ नहीं मानता। चार्वाक या चरकों का अपना देश मद्र देश या भद्र देश कहलाता था। इस देश में आज के कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि प्रान्त आते थे। चार्वाक धर्म के गुरु बृहस्पति जी हैं, जो हिन्दुओं के भी गुरु हैं।

आचार्य रजनीश ने अपनी पुस्तक 'आग और फूल' का संदर्भ देते हुए चमार का संबंध सीधे–सीधे बौद्धों से जोड़ा है। वे लिखते हैं– ''बौद्ध धर्म जब उत्कर्ष पर था, तब शंकराचार्य का दक्षिण में उदय हुआ है। राजा सुधन्वा की सेना बौद्धों का वध करती हुई आगे–आगे चली, उसके पीछे–पीछे शंकराचार्य 'शिवमत' का प्रचार करते चले। सुधन्वा ने अपने सैनिकों को आदेश दे रखा था, कि जो सैनिक एक बौद्ध का सिर काटकर लाएंगे, उन्हें एक सौ स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। बौद्धों के सिर कटने लगे। जो बौद्ध सम्पन्न थे। वे देश छोड़कर भागे, विदेशों में चले गए, वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे, परन्तु जो बौद्ध गरीब थे, बाहर न भाग सकते थे, ये वहीं रह गए और उन्होंने हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया। इन्होंने ही एक और उत्पत्ति का उल्लेख किया है कि चमार के संबंध में कुछ लोगों का मत है कि (चुमूरि) एक अपुर सिन्धु वासी महान योद्धा था, जो इन्द्र से युद्ध करते हुए मारा गया था। चुमूरि के मरने के बाद उसके बचे हुए कुटुम्ब को 'चमार' कहा जाने लगा। इनको हजारों वर्षों से अछूतों की तरह नीच माना गया है।

इसी कड़ी में चामू और बामू की कथा का भी उल्लेख मिलता है। ये दोनों एक राजा की लड़कियाँ थीं और दोनों के ही एक–एक पुत्र थे, जो सुदृढ़ देह वाले थे और बलशाली थे। अकस्मात् एक दिन राजा के पशु बाड़े में हाथी की मृत्यु हो गई। राजा उस मरे हुए हाथी को उठवाना चाहता था। राजा ने लोगों को बुलाया और सबसे यह सवाल किया कि कोई इतना ताकतवर है, जो इस मरे हाथी को उठाकर अकेले बाहर ले जाकर दफन कर सके?

चामू का पुत्र बलशाली था, उसने राजा की यह चुनौती स्वीकार कर ली और अकेले उसे उठाकर बाहर ले गया और फिर उसे दफना दिया। बामू के बेटे को चामू के के बेटे का यह काम घृणित लगा और उसने उसे आगे से अछूत करार देकर सभी वर्णों से निष्कासित कर दिया। इस कथा के अनुसार चमार जाति उसी चामू के बेटे का वंशज है। यदि शब्दों पर जाएं तो चामू के चमार और बामू से ब्राह्मम होने का आभास होता है। बलशाली और आज्ञापालक को इस प्रकार निम्न कोटि में डालना तर्कसंगत नहीं लगता।

इसके अलावा और भी कई प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित हैं, जो भ्रम पैदा करती हैं। वे चमारों को या तो पर्वू जन्म का ब्राह्मण बताती हैं या बालिष्ट या मांस खाने वाला या मरे हुए पशुओं को उठाने वाला कहती हैं, जो वास्तविक तथ्य से परे हैं, इसलिए उनका उल्लेख यहां करना उचित नहीं समझा गया है। पेशे समय–समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए किसी जाति को पेशे से जोड़ना न तो तर्कसंगत है और न व्यवहारिक है। परन्तु यह विचारणीय है कि शब्दों के अर्थ बदल गए और वे जातियों के सूचक बन गए। उदाहरण के तौर पर बारहवीं शताब्दी तक राजपूत का अर्थ था, राजा का पूत/राजा किसी भी कौम का हो, जैसे ब्राह्मण, बनिया (गुप्ता), जाट (सूरजमल), गूजर, यादव, सांसी, चमार आदि। बाद में पता नहीं राजपूत राजा हो न हो, परन्तु उसके पुत्र राजपूत कब से होने लगे। इसी प्रकार पालि शब्द खेत का अर्थ है क्षेत्र। क्षेत्र की देखभाल करने वाला क्षेत्रपति (छत्रपति)। छत्रपति जो बहुत बड़े भूभाग का स्वामी हो, परन्तु यह शब्द जाति विशेष का परिचायक कब से हो गया वह खोज का विषय है।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि पेशा जाति का आधार नहीं हो सकता है, इसलिए पेशों से जातियां पैदा करना बहुत बड़ी भूल है। वे अपनी पुस्तक 'अशोक के फूल' में उल्लेख करते हैं –''चमार चाम का काम करने वाली जाती है, लुहार लोहे का। पेशे के कारण 'जाति' का होना कुछ अद्भुत–सी बात है और फिर भी तथ्य यह है कि इस देश में पेशों के नाम पर सैंकड़ों जातियाँ है, परन्तु हर प्रकार के प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि 'पेशे' के हिसाब से नामकरण होने पर भी 'पेशा' जाति का कारण नहीं है। इतिहास के नाम पर जो कुछ अनुश्रुतियाँ बच रही हैं, उनके साथ विभिन्न युग के प्राप्त साहित्य का मिलान करने पर स्पष्ट ही लगता है कि कुछ खास श्रेणी के लोग कुछ खास पेशों को स्वीकार करने के कारण अपनी मूल जाति से च्युत होकर हीन हो गए हैं। कभी–कभी खास पेशों के कारण जातियाँ ऊँची भी उठी हैं। उत्तर भारत में आर्यों के साथ आर्येतर मानव मंडलियों का रक्त संबंध बहुत अधिक हुआ है और बहुत–सी छोटी समझी जाने वाली जातियों का मूल इतिहास एकदम लुप्त हो गया है। जहाँ तक इतिहास हमें पीछे ठेलकर ले जाता है, वहाँ तक यह पता नहीं चलता कि इन जातियों में अधिकांश का मूल–स्वरूप क्या था और इसीलिए पेशों को ही 'जाति' का मूल कारण समझ लिया जाता है। पर हाल में नेतृत्व शास्त्रीय जो प्रमाण संग्रह किए जा सके हैं। उनसे इस धारणा की सच्चाई पर संदेह होता है। रिजली और धुर्ये जैसे निपुण पर्यवेक्षकों का कहना है कि उत्तर भारत के चमारों में बंगाल के ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक आर्य सादृश्य है, फिर भी उत्तर भारत के चमार चमार हैं और बंगाल के ब्राह्मण ब्राह्मण।''

स्पष्ट है कि जाति–व्यवस्था का शुरू से ही सत्ता का वर्चस्व की राजनीति का घनिष्ठ संबंध रहा है। इसलिए बड़े ही सुनियोजित तरीके से बहुत बड़े जन–समुदाय को सबसे नीचे के पायदान पर धकेला गया। प्रतिष्ठित लेखक सुवीरा जायसवाल का भी मत है कि चमड़े और चमारों को अपवित्र मानना बाद की कल्पना है। इन्होंने अपने लेख में दलित अस्मिता और एजेन्डा– 'दलित विनाश' में इस कटु सत्य को रेखांकित किया है– ''चमड़ा अपवित्र वस्तु माना जाता है। ऐसी धारणा है कि उत्तर भारत की बहुसंख्य चमार जाति, तमिलनाडु की चक्किलियन और आन्ध्र प्रदेश की माडिगा जाति को चमड़े का काम करने के कारण 'अस्पृश्य' माना गया, यद्यपि यह निर्विवाद है कि इनका अधिकांश भाग खेतों में ही काम करता चला आ रहा है। उत्तर वैदिक काल में चमड़ अशुद्ध नहीं माना जाता था और पंच विश ब्राह्मण (XVI 13, 13) में यज्ञ के लिए चमड़े के थैलों में भरे हुए दूध के प्रयोग का उल्लेख हुआ है। बौधायन श्रौत सूत्र (XV 6) में घी, शहद, चावल और भुने हुए अनाजों से भरे चमड़े के सैकड़ों थैलों का जिक्र है। स्पष्ट ही चमड़े और चर्मकारों को अपवित्र मानना बाद की कल्पना है।''

उपजातियाँ एवं गोत्र

विश्व की प्रचीन सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है, जो मूलनिवासियों की विरासत है। खुदाई के दौरान पाए गए प्रतीक चिन्हों–स्वस्तिक आदि, देव–प्रतिमाओं तथा मुद्राओं से स्पष्ट है कि चमार जाति

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

का इससे बहुत निकट का संबंध रहा है, क्योंकि देश के विभिन्न क्षेत्र में ये लोग अपने सांस्कृतिक क्रियाकलापों में उन्हें आज तक अपनाए हुए हैं। पूजा के अवसर पर 'स्वस्तिक चिन्ह' अवश्य बनाया जाता है, और भूदेवी अर्थात् भूमिया माता की पूजा तो सर्वत्र प्रचलित है। इन सबका उल्लेख जी. डब्ल्यू ब्रिग्स ने अपनी पुस्तक ''दि चमार्स'' में किया है।

विलियम क्रूक ने चमारों की 1156 उपजातियाँ बताई हैं, जिनके अपने रीति–रिवाज और जीवन जीने की स्वस्थ नीतियाँ हैं, उनमें नाई, धोबी, सफाई कर्म आदि सभी पेशें मिलते हैं अर्थात् उनकी अपनी संस्कृति और सभ्यता है, जहाँ वे किसी मामले में किसी से उधार नहीं लेते, उन्हीं में चमार राजपूत है, चमार गौड़ ब्राह्मण हैं।

चमार जाति भारत के सभी क्षेत्रों में बसी हैं। भारतीय संविधान में दी गई अनुसूची के अनुसार अनुसूचित जातियों की सूची में 'चमार' जाति की स्थिति प्रदेशवार निम्नवत् है–

1. आंध्र प्रदेश – कुल अनुसूचित जातियों की संख्या 59 है तथा इसमें ये चमार मोची, मुचि, के नाम से दर्ज है।

2. असम – राज्य में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 16 है, इसमें चमार मुची एवं ऋषि कहकर दर्ज हैं।

3. बिहार – अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 23 है तथा इसमें ये चमार एवं मोची कहकर दर्ज हैं।

4. गुजरात राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या कुल 30 है, जिसमें कुल चमारों की उपजाति की सूची में 23 उपजातियां चमारों की हैं– जो (i) भाम्बी (ii) माम्भी (iii) असादरू (iv) असौदी (v) चमाड़िया (vi) चमार (vii) चाम्भार (viii) चमगार (ix) हरलय्या (x) हरली (xi) खालपा (xii) मचिगार (xiii) मोचीमार (xiv) मादर (xv) मादिग (xvi) मोची (xvii) नालिया (xviii) तेलगु मोची (xix) रोहित (xx) कामाटी मोची (xxi) राणीगार (xxii) रोहिदास (xxiii) सामगार।

5. हरियाणा – राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 37 है, जिसमें चमार जाति के अन्तर्गत 1. चमार 2. जाटिया चमार 3. रेहगड़ 4. रैगड़ 5. रामदासी एवं 6. रविदासी इन कुल 6 उपजातियों को चमार के अन्तर्गत रखा गया है।

6. जम्मू–कश्मीर – राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 13 है जिनमें 1. चमार 2. रामदसिया उपजातियां है।

7. हिमाचल प्रदेश – राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 56 है, जिनमें 1. चमार 2. जाटिया चमार 3. रेहगड़ 4. रैगड़ 5. रामदासी 6. रविदासी 7. मोची 8. रामदस्रिया। इन कुल 8 उपजातियों को चमार के अन्तर्गत रखा गया है।

8. कर्नाटक – प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है। इस प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 101 है। इसमें चमार अन्तर्गत उपजातियों की कुल संख्या 23 है, जो गुजरात की चमार उपजातियों से लगभग मिलती–जुलती है।

9. केरल – राज्य के अन्तर्गत कुल अनुसूचित जातियों की संख्या – 68 है, जिनमें चमार को चमार एवं मूचि के नाम से जाना जाता है।

10. मध्य प्रदेश – मध्य प्रदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की कुल संख्या–47 हैं, जिनमें चमार जाति के अन्तर्गत जाति एवं उपजातियों की संख्या 17 है जिनकी सूची निम्न है –

1. चमार 2. चमारी 3. बेरवा 4. मांबी 5. जाटव 6. मोची 7. रेगड 8. नोना 9. रोहिदास 10. रामनामी 11. सतनामी 12. सूर्यवंशी 13. सूर्यरामनामी 14. अहिरवार 15. चमार 16. मंगल 17. रैदास।

11. महाराष्ट्र – प्रदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की कुल संख्या–59 है, जिसमें चमार एवं उनकी उपजातियाँ 29 हैं, ये उपजातियाँ निम्न हैं–

1. मांबी 2. भंमी 3. असादरू 4. असौदी 5. चमाड़िया 6. चमार 7. चमारी 8. चंभार 9. चामगार 10. हरलय्या 11. हरली 12. खलपा 13. मचीगार 14. मोचीगार 15. मादर 16. मादिग 17. मोची 18. तेलुग मोची 19. कामाटी मोची 20. राणीमार 21. रोहिदास 22. नोना 23. रामदासी 24. रोहित 25. समगर 26. सामगार 27. सतनामी 28. सूर्यवंशी 29. सूर्यराम नामी।

12. मणिपुर – राज्य के अन्तर्गत कुल अनुसूचित जातियों की संख्या–7 है, जिसमें चमार के अन्तर्गत मुची और रविदास आते हैं।

13. मेघालय – राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 16 है, जिसके अन्तर्गत चमारों को मुची एवं ऋषि कहकर दर्ज किया गया है।

14. उड़ीसा – राज्य के अन्तर्गत अनुसूचति जातियों की संख्या कुल 93 है। जिसके अन्तर्गत इन 4 उपजातियों को रखा गया है –

1. चमार 2. मोची 3. मुची एवं 4. सतनामी।

15. पंजाब – राज्य के अन्तर्गत के अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 37 है, इसमें चमार एवं उनकी उपजातियाँ निम्नलिखित 6 हैं –

1. चमार 2. जटिया 3. रेहगढ़ 4. रैगड़, 5. रामदासी 6. रविदासी।

16. राजस्थान – राजस्थान राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 59 है। जिसमें क्रमांक चमार अन्तर्गत निम्नलिखित जातियाँ एवं उपजातियाँ है–

1. चमार 2. मंभी 3. बंमी 4. मंबी 5. जटिया 6. जाटव 7. जाटवा 8. मोची 9. रैदास 10. रोहिदास 11. रैगड़ 12. रेगड़ 13. रामदासिया 14. असादरु 15. असोदी 16. चमाड़िया 17. चमार 18. चामगार 19. हरलय्या 20. हराली 21. खलपा 22. मचिगार 23. मोचीगार 24. मादर 25. मादिग 26. तेलगु मोची 27. कामटी मोची 28. राणीगार 29. रोहित 30. सामगार।

17. तमिलनाडु – राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की संख्या 76 है जिमसें क्रमांक–14 के अन्तर्गत चमार को रखा गया है। ये है चमार एवं मूची।

18. त्रिपुरा राज्य – राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की कुल संख्या–32 है, इसमें चमार जाति के अन्तर्गत 1. चमार 2. मूची है।

19. उत्तर प्रदेश – प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या–66 है तथा क्रमांक 24 पर चमार जाति को रखा गया है, जिसके अन्तर्गत 1. चमार 2. धुसिया 3. झुसिया और 4 जाटव उपजातियों को रखा गया है।

20. पश्चिमी बंगाल – राज्य के अन्तर्गत कुल अनुसूचित जातियों की संख्या–59 है तथा चमार के अन्तर्गत 7 उपजातियां हैं –

1. चमार 2. चर्मकार 3. मोची 4. मुची 5. रविदास 6. रुईदास 7. ऋषि।

21. दिल्ली – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्तर्गत कुल अनुसूचित जातियों की संख्या 36 है तथा चमार क्रंमाक – 10 पर है। इस चमार के तहत् उपजातियों की संख्या 10 है और इस प्रकार है –

1. चमार 2. चंवर 3. चमार/जाटव 4. जाटव चमार 5. मोची 6. रामदासिया

22. चण्डीगढ़ – इस केन्द्र शासित राज्य के क्रमांक 9 के अन्तर्गत कुल अनुसूचित जातियों की संख्या–36 है तथा चमार अन्तर्गत निम्नलिखित 7. उपजातियां है–1. चमार 2. जटिया 3. जटिया चमार 4. रेहगड़ 5. रैगड़ 6. रामदासी 7. रविदासी।

23. मिजोरम – इस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की संख्या 16 है तथा चमार के अन्तर्गत मुची एवं ऋषि दो ही नाम दर्ज है।

24. अरुणाचल प्रदेश – प्रदेश के अन्तर्गत कुल अनुसूचित जातियों की संख्या–16 है तथा चमार मुची एवं ऋषि कहकर दर्ज है।

25. दादर नगर हवेली – दादर नगर हवेली में कुल अनुसूचित जातियां 4 हैं तथा क्रमांक–2 पर चमार जाति दर्ज है।

26. पांडिचेरी – पांडिचेरी राज्य के अन्तर्गत कुल अनुसूचित जातियों की संख्या–15 है तथा क्रमांक 6 में चमार दर्ज है, जिसे पांडिचेरी में 'मादिग' कहकर जाना जाता है।

27. गोवा – इस राज्य के अन्तर्गत कुल अनुसूचित जातियों की संख्या–7 है तथा चमार दो बार दर्ज है।

28. सिक्किम – राज्य के अन्तर्गत कुल अनुसूचित जातियों की संख्या–4 है तथा चमार इस राज्य में शाउकी (नेपाली) कहकर दर्ज है।

इस प्रकार देश के सभी प्रान्तों में जो अनुसूचित जातियाँ समान रूप से विद्यमान हैं, उनमें चमार के साथ–साथ जैसवाह, जैसवारा, रविदास, रैदास, धुसिया, अहिरवार, दोहरे, कुरील आदि प्रमुख हैं। मोची, रामनामी, रामदासिया, मोचीगार, तेलगु मोची, जाटव चमार, रहगड़, रैगड़ भी कई प्रदेशों में है कर्नाटक में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज्यादा 101 है और राजस्थान में चमार की उपजातियां सबसे अधिक हैं, जिनकी संख्या 30 है। चमार अधिकांशतः उत्तर प्रदेश, पूर्व में बिहार तथा उत्तर पश्चिम में पंजाब के सीमांत क्षेत्रों में स्थित है और सामान्यतः सारे देश में निवास करता है।

1. जैसवार – संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में मुख्यतया बनारस, जौनपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर तथा फैजाबाद जिले में हैं, जैसवार इनकी अधिकतर आबादी शहरों तथा कस्बों में रहते हैं। इस उपजाति के कुछ लोग चमड़े से कमाते हैं, उनमें से कुछ जूती बनाते हैं और ज्यादातर दैनिक मजदूर हैं।

2. दोहरे या डोहरे – ये हरदोई, लखीमपुर, फर्रूखाबाद, इटावा, रूहेलखंड में हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या हरदोई में है, जहाँ पर चमारों की कुल जनसंख्या में आधे से ज्यादा ये ही है।

3. रविदासी – सारे उत्तर भारत में फैले हुए हैं।

4. कुरील – लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, इलाहाबाद, कानपुर में अवस्थित हैं। ये चमड़े का काम करने वाले और खेतिहर मजदूर हैं।

5. अहरवार – ये झांसी, हमीरपुर, जालौन, इलाहाबाद आदि जिले में बसे हुए हैं। हरदोई और फर्रुखाबाद में भी ये बसते हैं ये अधिकतर खेती करते हैं और कुछ छोटे ठेकेदार हैं।

6. घुसिया या झुसिया – गोरखपुर, देवरिया लेनिक सबसे ज्यादा बलिया में हैं, और इनकी अधिकतर आबादी बिहार में हैं। सहारनपुर और बुलन्दशहर जिले में भी इनकी बस्तियां हैं।

7. जाटव – चमारों की ये उपजातियां, मेरठ, आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, एटा आदि में बसती है।

कुछ अन्य प्रमुख उपजातियाँ – मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान आदि में भी बहुतायत में चमार जातियाँ, उपजातियाँ निवास करती हैं, जिसका विवरण निम्नवत है –

8. अहिरवार – मध्य प्रदेश में अहिरवार प्रमुख उपजाति है, जो विदिशा, होशंगाबाद, मांडला, देवास, सागर, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, गुना, दतिया, शिवपुरी, मुरैना, भिन्ड, तथा जबलपुर आदि जिलों में हैं।

9. सतनामी – यह उपजाति भी मध्य प्रदेश में काफी संख्या में रायपुर राजनांद गाँव, विलासपुर, रायगढ़ (ये अब छत्तीसगढ़ प्रदेश के क्षेत्र में आते हैं) तथा शहडोल जिले में है।

10. गोअरिया – बिहार में अवस्थित ये अपना संबंध ग्वालियर से बताते हैं इनकी संख्या बिहार के लखीसराय, मुंगेर, जमुई, जसीडीह, जमालपुर तथा पटना के अलावा पटना साहिब में भी बसते हैं। ये मरे हुए पशुओं को नहीं उठाते और इनकी औरतें डगरिन का काम नहीं करती।

11. मधेशिया – इनकी बहुतायत संख्या बिहार में सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी व पश्चिमी चम्पारण तथा बेतिया जिले में हैं।

12. जटिया या जटुवा – ये न केवल मध्य एवं ऊपरी दोआबे तथा रूहेलखण्ड में मिलते हैं, बल्कि दिल्ली और गुड़गांव (हरियाणा) में भी काफी तादाद में पाए जाते हैं। ये खेत–मजदूर तो हैं ही, उसके साथ किसानी भी करते हैं, चमड़े का तिजारत करने वाले और जूता बनाने वाले भी हैं। खेती–बाड़ी करने वाले लोग चमड़े का काम नहीं करते। पंजाब में जटिया लोग घोड़े और ऊँटों की चमड़ियों का काम भी करते हैं। चमड़े का व्यापार करने वाले इस उपजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और दूसरे हिन्दुओं की तरह उनका रहन–सहन उच्च स्तर का है।

जटिया या जटुवा का उद्गम कहाँ से हुआ इस बारे में दो विचार सामने आए हैं पहले विचार के अनुसार जटिया नाम जट से बना है, जिसका मतलब है, ऊँट हांकने वाला। दूसरे विचार वाले लोग इनका संबंध 'जाट' से जोड़ते हैं। यह कहावत है कि चमारों और जाटों के विवाह संबंध से ये पैदा हुए हैं। 'नेसफील्ड' का मत है कि ये यदु (कबीला) जनजाति से निकली शाखा है, जिसमें कृष्ण पैदा हुए थे। वैसे पंजाब के जटिया घोड़े और ऊँटों की खाल से कमाने का काम करते हैं, जबकि 'चन्दर' लोग इस काम से नफरत करते हैं। चन्दर ऐसी उपजाति है, जिसके यहाँ गौड़ ब्राह्मण भी नौकरी करते हैं, जिसके कारण देश के इस हिस्से में चमारों में यह सबसे ऊँची उपजाति मानी जाती है।

13. चमार – खासतौर पर ये मेरठ और रूहेलखण्ड

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

अनुमण्डलों में बसते हैं। इनकी सबसे ज्यादा संख्या सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में है। मेरठ, मुरादाबाद और बुलन्दशहर जिलों में भी ये काफी संख्या में मिलते हैं। ये अधिकतर खेत–मौजदूर हैं और सरकारी नौकरियों में काफी संख्या में आए हैं इनमें चमड़ा से कमाने वाले भी हैं, परन्तु उनकी संख्या अब बहुत कम अर्थात् नगण्य हो गई हैं। इनसे नफरत करने वाले इन्हें चामर नाम से भी पुकारते हैं।

14. पुरबिया – यह नाम भौगोलिक आधार पर दिया गया है और ये लोग विशेष तौर पर सीतापुर तथा खीरी जिलों में हैं, जबकि सर्वाधिक संख्या सीतापुर में है। वैसे भी ये इन जिलों के पूर्वी क्षेत्र में ही बसते हैं, कुछ प्रान्त के पश्चिमी भाग में भी मिलते हैं।

15. कोरी या कोली चमार – मुख्यतया गोरखपुर और लखनऊ मण्डल में ही बसते हैं सुल्तानपुर बस्ती, फैजाबाद और प्रतापगढ़ जिलों में काफी संख्या में मिलते हैं। ये लोग जूता बनाने, खेत–मजदूरी, साईस और जुलाहे का काम करते हैं। पंजाब में जहाँ ये चमड़े का काम नहीं करते, वहाँ इन्हें 'चमार–जुलाहा' नाम से पुकारा जाता है। कोरी अकसर चमारों के निकट ही बसते हैं और निश्चित रूप से पहले ये चमार ही थे। कुछ स्थानों पर कोरी और कोली चामर साथ–साथ खाते हैं और वैवाहिक सम्बन्ध भी आपस में बनाते हैं। मिर्जापुर जिले में कोरी लोग चमार–कोरी के नाम से जाने जाते हैं।

16. चमकेरिटया – बरेली जिले में खासतौर से मिलते हैं, यहाँ लगभग अस्सी प्रतिशत लोग इसी जाति से ताल्लुक रखते हैं। रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद और बस्ती में भी इनकी आबादी है। अकसर अन्य जगहों पर ये लोग नहीं मिलते। कहावत चली आ रही है कि 'नोना चमारी' और रैदास दोनों इसी जाति से संबंध रखते थे।

17. दोसाध या दुसाध जुलाहे – ये लखनऊ और गोरखपुर मण्डलों में बसते हैं और साईस तथा खेत–मजदूरी का काम करते हैं, ये सूअर पालते हैं। बंगाल में ये चमारों से अच्छी हालत में हैं। पहले पूरब में इन्हें चमारों में ही गिना जाता था, लेकिन अब इन्होंने अपनी अलग स्थिति बना ली है और चमड़े का काम नहीं करते और न ही इनकी औरतें दाई का काम करती हैं। आमतौर ये घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं। चमारों से इनके अच्छे ताल्लुकात हैं एवं गांवों में उनके निकट ही बसते हैं। अब बहुत से दुसाध बड़े शहरों में जाकर फैक्टरियों में नौकरी करते हैं।

18. काडयान – ये बुन्देलखण्ड और सागर मंडलों में बसते हैं अकसर इन्हें अपराधी प्रवृति का माना गया हैं और बोहरा व्यापारी तथा सूदखोर जाति से इन्हें जोड़ा गया है, जो ब्राह्मण तथा राजपूत मूल के माने गये हैं।

19. रंगिया – चमारों में कुछ ऐसे समूह भी विद्यमान हैं, जिन्हें अकसर उपजाति कहा जाता है, लेकिन उन्हें उनके व्यवसाय के आधार पर नामांकित किया गया है और इसी आधार पर इनका विभाजन हुआ है, उन्हीं में रंगरेज या चमड़ा रंगने वाला हैं, उन्हें ही रंगिया कहा जाता है। इन्हें निम्न जाति का चमार माना गया है। उनमें ही कुछ लोग जूते बनाने का काम करते हैं। एक दूसरा समूह भी है, जिसे उपजाति कहा गया है, वह रैदासी है। करनाल (हरियाणा) और उसके आस–पास के क्षेत्रों को छोड़कर जो कि एक अपवाद ही कहा जाएगा, यह समूह उपजाति नहीं है। यहाँ पर सभी चमार खुद को रैदासी कहते हैं।

इसके अलावा चमारों की कुछ और गौण उपजातियां हैं –

–चन्दौर उपजाति के लोग जूती बनाने का काम मुख्यतः करते हैं, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं करते।

– ढेंगर और निखर जनजाति, जो चमारों में शामिल मानी जाती है, जिसका निवास जिले में है, इनमें ढेंगर साईस का काम करते हैं, लेकिन निखर यह काम नहीं करते, उनकी पत्नियाँ बाई का कार्य करती हैं।

– करोल–अलीगढ़, बुलन्दशहर, बहराइच तथा बनारस जिलों में पाई जाने वाली एक छोटी जनजाति है। ये लोग जूती बनाने का काम करते हैं। इसी के साथ–साथ इटावा की 'गोले' प्रतापगढ़ की 'डोली ढौवा' अथवा पालकी ले जाने वाली 'धुनिया जुलाहा' जो कपड़ा बनाते हैं, लस्करिया' जो अकसर अंग्रेजी ढंग के जूते बनाते हैं, तथा देहरादून की 'घरामी' उपजाति, जो छप्पर बांधने का काम करती हैं। चमड़े की ढाल बनाने का काम करने वाले धलगड चिकलिया तथा पहाड़ी प्रदेशों के डोम भी चमड़े का काम करते हैं। 'खटीक' ढोलो का चमड़ा बनाते हैं। 'चर्कटा' मुसलमान चमार हैं। 'भिस्ती' भी कहीं–कहीं चमारों में शामिल होते हैं, वे भी चमड़े का करम करते हैं। पंजाब में चमारों की अनेकों उपजातियाँ हैं।

'चम्बार' जालन्धर और लुधियाना के आस–पास बसने वाली प्रमुख उपजाति है। पटियाला में बागडी और देसी हैं, जो अपनी उपजाति के बाहर विवाह–शादी नहीं करते। पंजाब की अन्य जातियों में 'ढेड' भी हैं, जो मध्य प्रान्त और गुजरात में एक अलग ही उपजाति है, लेकिन असल में वे चमारों वाला ही काम करते हैं। इसके अलावा 'बुजिया' या 'रूतिया' दोनों सिक्ख चमार हैं, जो बुनाई का काम करते हैं।

मोची नाम अकसर कस्बों और शहरों में कुशल कारीगरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस क्षेत्र में चमारों की संख्या कम है, वहाँ उनका स्थान मोचियों ने लिया है। खटीक, पासी और चनाल भी परम्परा के अनुसार चमड़े के काम से संबंधित हैं। इनमें चनाल शिमला की पहाड़ियों में पेशेवर चमार हैं तथा मैदानी इलाकों में चमारों जैसी ही हैं। बिहार और बंगाल में चमार और मोची एक ही जाति समझी जाति है। कनौजिया और अहरवार (Tanners) चमार हैं, चमड़े का काम करते हैं, तथा निजी तौर पर जूते बनाते हैं। अहरवार स्वयं को रैदास का अनुयायी बताते हैं।

चमारों की उपजाति में बुन्देलखण्डी, भदौरिया, गंगापारी, परदेशी, देसा या देसवार, महोबिया, मराही परवढ़िया, खैजराहा तथा दखिनी आदि भी शामिल हैं, जिनके नाम भौगोलिकता के आधार पर पड़े हैं। मध्य भारत में बलाही जाति मिलती है, जिनमें से कुछ लोग बुनकर–जुलाहों का काम करते हैं। पंजाब में बसने वाले चमार लोग खेती करते हैं, और जो साईस का काम करते हैं, वे बलाही या बलाई नाम से पुकारे जाते हैं। राजपूताना के पूर्वी भाग में चमड़े का काम करने वाले मुसलमान हैं।

तमिल देश (तमिलनाडु) में चकलियान लोग चमड़े का काम करते हैं। ये मुख्यतया चमड़े के वस्त्र, चप्पलें या अन्य सामान बनाते हैं और शैतान राक्षस की पूजा करते हैं, ये अवारम वृक्ष को बहुत पवित्र मानतें हैं, जिसकी छाल चमड़ा पकाने के काम में बहुत लाभदायक होती है। यहाँ लड़कियों की शादी जवान होने पर ही की जाती है। विधवाओं का पुनर्विवाह होता है, तलाक आम बात है और उसकी प्रक्रिया बहुत आसान हैं। इस जाति की औरतें बहुत सुन्दर होती हैं।

कर्नाटक में चमड़े का काम करने वाली जातियों में सबसे बड़ी 'मादिगा' जाति है, जो गाँव के बाहरी किनारे पर बसती है। इस जाति के बहुत से लोग अकसर दूसरों के दास हैं, उनमें भी अधिकतर कृषि मजदूर हैं और उत्सवों पर ढोल बजाने का काम करते हैं। दर्जी, बढई, बंजारा और सोनार सभी में चमार उपजाति है। कायस्थ मोची, जो जीन और काठी तैयार करते हैं, वे खुद को श्रेष्ठ कुल का बताते हैं और व्यवसाय से मोची नाम का संबंध नहीं जोड़ते। चमारों की अन्य उपजातियाँ हैं, जो उसमें सम्बद्ध रहीं, परन्तु अब चमारों से अपनी अलग जाति मानने लगी है। कुछ स्थानों पर जैसवार भी अपने आपको अलग जाति मानने लगे हैं। बिहार के दुसाध भी इसी कड़ी में हैं तथा कोरी (हिन्दू जुलाहे) भी अपनी अलग जाति और पहचान मानने लगे हैं, जो कि पहले चमारों की ही उपजाति रही। देश के अनेक स्थानों पर अलग जाति विकसित होने का यह सिलसिला बहुत पहले शुरू हो गया था, जो अब भी जारी है।

इसी क्रम में जुलाहों के कई समूह बन गए हैं, जैसे– 'चमार जुलाहा' कोली जुलाहा, 'मुसलमान जुलाहा' और 'रैदास जुलाहा' इसके नमूने हैं। ऐसे भी उदाहरण सामने हैं कि जुलाहे से पहले लगे शब्द चमार को अलग कर दिया गया। अभी भी मोची अत्यंत प्रमुख उपजाति है, जो शुद्ध रूप से चमार की पेशेगत शाखा है। मोची शब्द जूती बनाने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोची भी दो मुख्य भागों में विभाजित है, एक तो वे हैं, जो जूती बनाते और उसकी मरम्मत करते हैं, दूसरे वे हैं, जो जीन और साज तैयार करते हैं। इस दूसरे वर्ग के चमार स्वयं को 'श्रीवास्तव–कायस्थ' कहते हैं और उनके साथ ही शादी–विवाह करते हैं और उन्हीं की तरह के काम (व्यवसाय) भी करते हैं। इतना ही वहीं, वे उन्हीं के रीति–रिवाजों के अनुसार चलते हैं।

बंगाल के पंडितों द्वारा अधिकारिक रूप से उपलब्ध कराये गये दस्तावेज में उल्लेख है कि ज्योतिषी लोग जूता बनाने वाली जाति से संबंध रखते हैं और ऊँचे दर्जे के ब्राह्मण कुछ स्थानों पर उनके हाथ का स्पर्श किया पानी भी नहीं पीते। मोची वैसे तो चमारों की ही उपशाखा मानी जाती है, परन्तु जाति के मामले में यह बिलकुल भिन्न है। आर्थिक रूप से गिने–चुने क्षेत्रों में ही इसकी हालत ठीक है, परन्तु चमारों के साथ न तो इनका खान–पान है और न वैवाहिक सम्बन्ध। ये न तो मरे हुए पशुओं अथवा सूअर का मांस खाते हैं और न ही इनकी औरतें दाईगिरी करती हैं। ये अस्पृश्य की श्रेणी में नहीं आते। इसमें भेद यह है कि तैयार चमड़े का काम करने वालों की बजाय चमड़ा निकालने अर्थात बनाने वालों को नीचा समझा जाता है। यह सम्पन्न स्थिति में है, और चमारों से उच्च स्तर का माना जाता है।

गोरखपुर जिले में बसने वाली 'मोची' जाति ने हिरण की खाल पर आकर्षक कढ़ाई, मेजपोश तथा कालीन आदि के लिए विदेशों से पुरस्कार प्राप्त किया है। बंगाल के मोची चमार हैं, परन्तु यह कार्य गाय, भैंस, बकरी तथा हिरण के चमड़े के शोधन तक ही सीमित हैं। इसी प्रकार पंजाब में भी 'मोची' चमार है, जिसका कार्य चमड़े के शोधन तक सीमित है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है कि चमार जाति की उपजातियाँ पृथक जाति के रूप में विकसित होने की ओर अग्रसर हैं, जिससे सामाजिक सम्बन्ध ही नहीं, हित भी प्रभावित हो रहे हैं।

चमार जाति के गोत्र अलग–अलग क्षेत्रों में मिलते हैं

1. चौहान–यह गोत्र दिल्ली, हरियाणा और उ.प्र. में चमारों में पाया जाता है।
2. गहलौत – चमार, भंगी, सैनी, जाट और राजपूतों में समान रूप से ही मिलता है।
3. ढोंकवाल – हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले के चमारों में मिलता है।
4. नूनीवाल – चमारों का यह गोत्र छावनी गुड़गाँव में है।
5. अहीर – जालन्धर, दिल्ली और रिवाड़ी के रामदासिये चमार अहीर गोत्र लिखते हैं।
6. गोठवाल – इस गोत्र के चमार हरियाणा में मिलते हैं।
7. साम्भरिया – यह गोत्र चमार जाति के लोग लिखते हैं।
8. मड़िया – इस गोत्र के रोहतक में चमार हैं।
9. तंवर – यह गोत्र भी चमारों में होता है।
10. सहरावत – इस गोत्र के छोटा गाँव में चमार है।
11. दहिया – इस गोत्र के रोहतक के बादली गाँव और झज्जर में चमार है।
12. लोहमोड – इस गोत्र के छाटा गाँव में चमार हैं।
13. कटारिया – इस गोत्र के दिल्ली व उत्तर प्रदेश में चमार है।
14. कोली – गुडगांव के 23 गांवों में कोली चमार कहलाते हैं।
15. बैंस और संधू – ये गोत्र भी चमारों में भी है।
16. जस्सल – यह गोत्र चमारों में भी है।
17. टोंक – यह गोत्र भी चमारों में है।
18. विरदी – यह गोत्र भी चमारों में है।

चमार जाति के अन्य प्रमुख गोत्र हैं– राणा, रामराणा, पालीवाल, सहगल, संथाल, परालिए, पारले, राठौर, पुरालिए, मुनखिया, पटेल, कटारिया, बालिया, पातियान, खेवरिठो, कुरील, जवालिया, नौटियाल, मालियान, जोशिया शक्करवाल, झिझारिया, लक्कड़पाड़, गौंड, सिन्धे सिन्धवा, दावसे, मूंडतोड़, बमणिया, भास्कर, कोलियान, जैजान, जोशिया, तेजयान, धीरयाण, अदलियान, हिरणवाल, सिंहमार, कुचालिया, भैंसवाल, डहरवाल, भिस्तियान, रावत, कुरियान, बुलियान, घिरवाणिया, दीवाना, दतियां, मोरचबे, कठाले, चांदेहल, सानवाल, टप्परवाल, बोधानिया, जाटव, चमणिया, मिठारिया, कपाले, कपड़वाल, डाबरे, चावरेलिए, मोरचबे, पतालिए आदि।

गोत्रों में : चमारों के गोत्रों में से कुछ निम्न प्रकार हैं।

धीरमान, तेजयान, कोलियान, कुरियान, लाठियान, मालियान, गुरयान, भिस्तीयन, जैजान, बुलियान

उपरोक्त गोत्र बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध दार्शनिक मोदग्यायन, कात्यायन, साकृत्यायन एवं अन्य से समानता रखते हैं। इससे यह अन्दाज लगा लेना आसान सा है कि चमार लोग पुराने बौद्ध धर्मी हैं। चमारों के बौद्ध धर्मी होने के इसी बात को आचार्य रजनीश ने भी सत भाषै रैदास में कहा है।

साभार :
चमार जाति इतिहास और संस्कृति
पेज संख्या 16 से 30 तक
एस.एस. गौतम, डा0 आर.एम.एस. विजयी

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

भाग–2 प्रेस विधि अध्याय–1 वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता बनाम प्रेस

पत्रकारिता एक कला है तो प्रेस वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक सशक्त माध्यम। वस्तुतः यही यह स्वतन्त्रता है जो मनुष्य को अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। यह सर्वविदित है कि विचारों को जन–साधारण तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल्स, पैम्फलेट्स, लघु–पुस्तिकाएं, पोस्टर आदि है। यही कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) के अन्तर्गत नागरिकों को दी गई वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अन्तर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को सम्मिलित माना गया है।

'के. के. बिड़ला बनाम प्रेस कौंसिल के मामले में न्यायमूर्ति एस.एस. चड्ढा द्वारा यह कहा गया है कि – ''प्रेस की स्वतंत्रता को चारदीवारी में कैद नहीं किया जा सकता है। यह एक जीवन्त अवधारणा है जिसे संकुचित परिसीमाओं में परिरोधित किया जाना संभव नहीं हैं।''

वस्तुतः यह संविधान का आधारभूत ढांचा है। विख्यात पत्रकार एवं लेखक कुलदीप नैय्यर का कहना है कि प्रेस की स्वतंत्रता एक ऐसा वाहन है जो जनसाधारण को भय एवं पक्षपात रहित होकर ताजा घटनाओं से अवगत कराता है। प्रेस जनता के समक्ष उन तथ्यों एवं घटनाओं को रखता है जो घटित हुई हैं, न कि ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं को, जो जनता चाहती है।''

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रेस और पत्रकारिता वाक् और अभिव्यक्ति का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को समाचार–पत्रों में लेख, आलेख, कार्टून, आदि के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। उल्लेखनीय है कि अंको, चिन्हों, संकेतों आदि को भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम माना गया है।

विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार सीमित न होकर काफी विस्तृत है। इसमें केवल अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही नहीं आती है अपितु विचारों का प्रचार–प्रसार भी सम्मिलित है। यह एक ऐसा कारक है जो केवल प्रेस अथवा पत्रकारिता के माध्यम से ही सम्भव है।

न्यायालय ने वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित बताये हैं –

(1) व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायक होना,
(2) सत्य की खोज में सहायक होना
(3) व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को सुदृढ़ करना एवं
(4) स्थिरता एवं सामाजिक परिवर्तन में युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होना।

इस प्रकार वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भाग–3 में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वस्तुतः यह एक ऐसा अधिकार है जो लोकतन्त्र को जीवित रखने में सहायक होता है। यदि यह कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक ऐसी तार्किक एवं आलोचनात्मक शक्ति है जिसका अस्तित्व लोकतान्त्रिक सरकार के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है।

इस मामले में तो आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए यहां तक कहा है कि यदि कोई पत्रकार जेल में लम्बे समय से कैद बन्दी का साक्षात्कार लेना चाहता है तो जेल अधिकारियों को सामान्यतया इससे इन्कार नहीं किया जाना चाहिए।

साक्षात्कार से केवल तभी इन्कार किया जाना चाहिये जब –

(1) कोई बन्दी स्वयं साक्षात्कार नहीं देना चाहता तो तथा
(2) ऐसे साक्षात्कार से लोक व्यवस्था आदि को संकट उत्पन्न होने की आशंका हो।

'मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भौगोलिक प्रतिबंध नहीं है। इस स्वतंत्रता का उपयोग भारत से बाहर भी किया जा सकता है। यदि राज्य किसी भी देश में इस स्वतंत्रता में बाधक बनता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) का अतिलंघन होगा।

लेकिन 'हमदर्द दवाखाना बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने वाणिज्यिक विज्ञापनों एवं संव्यवहारों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंग नहीं माना है।

अभी 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के जीवन वृत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अधिकार को मतदाता का वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है।

इस अधिकार से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर विचार किया जाना उचित होगा।

प्रेस की स्वतन्त्रता बनाम पूर्व–सेंसर :

यह एक ऐसा विषय है जो आरम्भ से ही विवादास्पद रहा है। यह तो हम देख ही चुके हैं कि प्रजातन्त्र की सफलता व उसके सफल संचालन के लिए प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक है। क्योंकि प्रेस ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जन–साधारण को सरकार की गतिविधियों से अवगत रखा जा सकता है और सरकार को भी जन–साधारण की समस्याओं का आभास कराया जा सकता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसी स्वतंत्रता पर पूर्व–सेंसर का प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिसका कभी सकारात्मक उत्तर दिया गया तो कभी नकारात्मक। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रेस की स्वतन्त्रता पर पूर्व–सेंसर प्रत्येक मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

इस सम्बन्ध में बृजभूषण बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली का एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें समाचार पत्रों पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वे पाकिस्तान से सम्बन्धित समाचारों चित्रों, व्यंग्य चित्रों आदि का प्रकाशन सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबन्ध मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया।

इसी प्रकार वीरेन्द्र बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि समाचार–पत्रों को सामयिक महत्व के विषय पर अपने विचार प्रकाशित करने का पूरा अधिकार है। इस अधिकार से रोकना वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर प्रहार है।

इसी प्रकार का एक और मामला रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास का है। इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी समाचार–पत्र के एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रचार–प्रसार को रोकना भी प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रहार है क्योंकि यदि प्रचार–प्रसार पर अंकुश लगा दिया जाता है तो इस स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

उच्चतम न्यायालय ने ही एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में यहां तक अभिनिर्धारित कर दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबन्धित करने वाले निम्नांकित कृत्य असंवैधानिक हैं –

(1) समाचार–पत्रों का पूर्व–सेंसर
(2) परिचालन पर प्रतिबन्ध
(3) आरम्भ पर रोक, एवं
(4) चालू रखने के लिए सरकारी सहायता की अनिवार्यता, आदि।

सकल पेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में तो उच्चतम न्यायालय ने यहां तक निर्णय दे दिया कि समाचार–पत्रों की पृष्ठ संख्या व कीमत को निर्धारित करना भी असंवैधानिक है क्योंकि इससे वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इसी प्रकार का एक और महत्वपूर्ण मामला बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया का है जिसमें सरकार की अखबारी कागजों की आयात नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।

विज्ञापनों का आवंटन एवं प्रेस की स्वतंत्रता :

एक मामले में गुवाहटी उच्च न्यायालय ने विज्ञापनों के 30% कोटे में से 24% केवल एक दैनिक समाचार–पत्र को तथा 6% अन्य सभी समाचार–पत्रों को आवंटन किये जाने को प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात माना।

कुल मिलाकर सार यह है कि प्रेस की स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक राज्यों में अपरिहार्य है। इस स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने वाली समस्त विधियाँ अवैध घोषित किये जाने योग्य होती हैं।

युक्तियुक्त निर्बन्धन :

अब तक हमने देखा कि प्रेस की स्वतन्त्रता विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबन्धित करके विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जीवित नहीं रखा जा सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि कोई भी स्वतंत्रता अबाध नहीं हो सकती है। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाने आवश्यक होते हैं। फिर कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाये जाने आवश्यक हो जाते हैं। यही कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में ऐसे कतिपय युक्तियुक्त निर्बन्धनों का उल्लेख किया गया है। यह ऐसे निर्बन्धन हैं जो वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाये जा सकते हैं। यह निर्बन्धन निम्नांकित हैं –

(1) राज्य की सुरक्षा
(2) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध
(3) शिष्टाचार एवं सदाचार
(4) लोक व्यवस्था
(5) न्यायालय की अवमानना
(6) मानहानि
(7) अपराध उद्दीपन एवं
(8) भारत की प्रभुता एवं अखण्डता

लेकिन '**आन्ध्रप्रदेश सिविल लिबर्टीज कमेटी बनाम कलेक्टर एण्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गून्टूर** के मामले में आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है ''वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समुचित विधान द्वारा ही निर्बन्धित किया जा सकता है, कलेक्टर के परिपत्र या आदेश द्वारा नहीं

राज्य की सुरक्षा :

यह सार्वभौम सत्य है कि राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। राज्य की सुरक्षा के बिना व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह राज्य की सुरक्षा को संकटापन्न नहीं बनाये। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे राज्य की सुरक्षा संकट में पड़ जावे। रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस तरह से करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उससे राज्य की सुरक्षा को ही खतरा उत्पन्न हो जावे। यदि किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति विक्षोभ, विद्रोह, युद्ध आदि की आशंका उत्पन्न करने वाली हो तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी प्रकार स्टेट ऑफ बिहार बनाम शैलबाला देवी के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि यदि विचारों की अभिव्यक्ति से हत्या, बलवा अथवा अन्य किसी अपराध को प्रोत्साहन मिलता है तो उसे प्रतिबन्धित किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार के विचार रामजीलाल मोदी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मामले में व्यक्त किये गये हैं।

विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध :

राष्ट्रीय विकास एवं आन्तरिक सुरक्षा के लिए विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना आवश्यक है। यही कारण है कि विदेश नीति में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस पर प्रभावी असर पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि यह स्वतंत्रता ऐसी नहीं हो कि उससे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध समाप्त हो जावे अथवा उनमें दरार पड़ जावे। ऐसी स्वतंत्रता पर भी प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

शिष्टाचार एवं सदाचार

शिष्टाचार एवं सदाचार दोनों राष्ट्रीय सभ्यता और संस्कृति के दर्पण माने जाते हैं इस पर राष्ट्र का सर्वांगीण विकास और चरित्र निर्भर करता है। इसके लिए आवश्यक है कि देश का साहित्य भी सुसंस्कृत हो। यदि ऐसा कोई साहित्य प्रकाशित किया जाता है जिससे राष्ट्रीय चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो उसे प्रतिबन्धित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में रणजीत डी. उडेसी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र[23] का एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें डी. एच. लारेन्स की पुस्तक ''लेडी चैटलीज लवर'' को अश्लील मानते हुए लेखक को दण्डित किया गया था।

लोक व्यवस्था

लोक व्यवस्था के आधार पर भी वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। इसे संविधान में समाहित करने की आवश्यकता रोमेश थापर के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को लेकर प्रतीत हुई इसमें उच्चतम न्यायालय ने लोक व्यवस्था के आधार पर वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने को असंवैधानिक माना था।

इस सम्बन्ध में डॉ. राम मनोहर लोहिया[24] का एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें यह कहा गया कि ऐसे निर्बन्धन का लोकहित में होना आवश्यक है।

राधेश्याम शर्मा बनाम पी.एम.जी.[25] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने वाली विधियों को संवैधानिक माना इसका कारण भी लोक व्यवस्था ही रहा है। ठीक इसी प्रकार का एक और मामला बाबूलाल पराटे बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र[26] का है जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को संवैधानिक माना है क्योंकि यह लोक व्यवस्था को नियमित करती है। इसी प्रकार केदारनाथसिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार[27] में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 124 क व 505 को संवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि वह लोक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाने वाली है।

मौलाना मुफ्ती सैय्यद मोहम्मद नूरूर रहमान बरकती बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल[28] के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अजान के समय माइक्रोफोन के प्रयोग पर लगाये गये प्रतिबंध को लोक व्यवस्था के आधार पर संवैधानिक माना गया।

'तमिलनाडु आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसियेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया[29] के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि यात्रियों एवं जनसाधारण की सुविधा तथा यातायात की सहूलियत के लिए हार्डिंग (Hoardings) की अधिकतम ऊंचाई को निर्धारित करना वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं हैं।

न्यायालय का अवमान :

न्यायपालिका शासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यही संविधान का सजग प्रहरी एवं विधियों की व्याख्या करने वाला निकाय है। इसकी गरिमा बनाये रखना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दे सकता है जिससे इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। वरदकान्त[30] के मामले में तो यहां तक कह दिया गया कि न्यायालय की प्रशासनिक कार्यों की भी अवमानना करने की दृष्टि से आलोचना नहीं की जा सकती है।

मानहानि :

कोई भी व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस तरह से नहीं कर सकता है कि उससे किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे अर्थात् उसकी मानहानि हो। यही कारण है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 में इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

अपराध उद्दीपन :

कोई व्यक्ति ऐसे कोई विचार भी नहीं रख सकता है जिससे हिंसा अथवा अपराधों की प्रवृत्ति बढ़े अथवा लोग इसके लिए उत्प्रेरित हो। स्टेट ऑफ बिहार बनाम शैलबाला देवी[31] के मामले में तो यहां तक कहा गया है कि हिंसा एवं अपराधों का सीधा प्रभाव राज्यों की सुरक्षा पर पड़ता है। अतः इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये।

भारत की प्रभुता और अखण्डता :

अन्त में इस स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाने वाला एक और तत्व भारत की प्रभुता और अखण्डता है। भारत की प्रभुता और अखण्डता बनाये रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई वक्तव्य देता है अथवा अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस तरह से करता है कि उससे देश की एकता और अखण्डता को संकट उत्पन्न हो जावे तो उस पर भी प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।

न्यायिक कार्यवाहियों का प्रकाशनः –

न्यायिक कार्यवाहियों का प्रकाशन अत्यन्त सावधानी से किया जाना अपेक्षित है। ऐसे प्रकाशन से पूर्व उसकी विश्वसनीयता एवं प्राधिकारिता के प्रति आश्वस्त हो जाना चाहिए।[32]

बंध का अधिकार वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग नहीं :

एक मामले में राजनैतिक दलों के इस अधिकार को नकार दिया गया कि ''बंध'' का अधिकार उनका वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।[33]

प्रेस की आचार संहिता :

विजय कुमार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया[34] के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – प्रेस की भी अपनी आचार संहिता है। वे उसी आचार संहिता से प्रशासित होते हैं। नैतिकता एवं नीति के नियम उन पर भी लागू होते हैं। उन्हें केवल सुनी–सुनाई बातों के आधार पर असंगत एवं संवेदनशील समाचार प्रकाशित करने की खुली छूट नहीं दी जा सकती।

इस प्रकार संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को जहां वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है वहीं उस पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध भी लगाया गया है। प्रेस का भी वह कर्तव्य है कि वह ऐसा कोई वक्तव्य प्रकाशित नहीं करे जिससे उपर्युक्त बातें प्रभावित हों।

साभार :
पत्रकारिता एवं प्रेस विधि
(सिद्धांत और व्यवहार)
पेज संख्या 24 से 30 तक
डॉ. बसंतीलाल बाबेल

सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को समाप्त करना ही डी–एस4 का मकसद है

– कांशीरा

(महू)

महू (मध्य प्रदेश) 28 फरवरी 1984

परम पूज्य डा. बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थान महू में दलित–शोषित समाज संघर्ष समिति द्वारा चलाये जा रहे भारत व्यापी आन्दोलन 'समता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष' कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विशाल साईकिल रैली व आम सभा का भव्य आयोजन किया गया। सभा सायं 6 बजे मा. कांशीराम जी संस्थापक अध्यक्ष डी–एस4 की अध्यक्षता में शुरू हुई।

आपने अपने ओजस्वी व विद्वतापूर्ण अध्यक्षीय भाषण में बताया कि दलित–शोषित समाज संघर्ष समिति द्वारा देश की चारों दिशाओं से कन्याकुमारी, कारगिल, कोहिमा, कश्मीर व पोरबन्दर आदि से विशाल साईकिल रैलियाँ निकलकर देश के प्रमुख पाँच राष्ट्रीय मार्गों से होती हुई 15 मार्च को दिल्ली पहुँचेंगी। इस रैली के कार्यकर्ता देश में 100 बड़ी व 10000 छोटी सभाओं को सम्बोधित करेंगे। महू का यह कार्यक्रम भी उसी आन्दोलन का एक भाग है, जो डी–एस4 द्वारा देशव्यापी स्तर पर समानता और स्वाभिमान के लिए 'संघर्ष' चलाया जा रहा है।

आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के संविधान निर्माता व 85 प्रतिशत दलित–शोषितों के मुक्तिदाता डा. बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था – ''26 जनवरी, 1950 को हमें राजनैतिक समानता तो प्राप्त हो जायेगी, परन्तु दूसरी ओर हम सामाजिक व आर्थिक समानता के विसंगतिमय वातावरण में ही जीवन यापन करेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत तथा एक मत एक मूल्य की मान्यता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सामाजिक व आर्थिक विषमता यथावत बनी रहेगी। हम कब तक यह विषमतापूर्ण जीवन जीते रहेंगे। यदि हम लम्बे समय तक यह विषमतापूर्ण सामाजिक व आर्थिक असमानता को स्वीकार करते रहे तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जायेगी। हमें अतिशीघ्र ही इन विसंगतियों को समाप्त करना पड़ेगा। अन्यथा जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं वे इस राजनैतिक, जनतंत्र को उखाड़कर फेंक देंगे, जिसे हमने काफी परिश्रम से बनाया है।'' उपरोक्त कथन की पुष्टि करते हुए मा. कांशीराम जी ने कहा कि आज 36 वर्षों की इस लम्बी अवधि के पश्चात भी देश की सामाजिक व आर्थिक असमानता की खाई कम होने के बजाय और अधिक बड़ी है। इस देश के चार प्रतिशत पंडितों ने लोकसभा के 36 प्रतिशत स्थानों पर अधिकार जमा रखा है तथा केन्द्रीय मंत्री परिषद के 19 मंत्रियों में 9 ब्राह्मण (50 प्रतिशत) हैं। ब्राह्मण, बनिया व बड़े जमींदारों का आपस में समझौता है कि दिल्ली पर पंडित जी, राज्यों में बड़े जमींदारों तथा देश के बड़े उद्योगों पर बनियों का अधिकार होगा। इस देश का समस्त आर्थिक नियंत्रण करीबन 100 बड़े धन्नासेठों के हाथों में है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश एक मात्र भारत है जहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली से देश का कारोबार चलता है, परन्तु हम देख रहे हैं कि देश के पूंजीपति अपने पैसों से जनता के वोट खरीद लेता है। इस प्रकार जनता के वोट व पूंजीपति के नोट का खेल इस देश में प्रजातंत्र के नाम पर खेला जा रहा है। देश के एक कुप्रसिद्ध धन्ना सेठ बिड़ला जिसके पास इतना धन है कि यदि भारत के 18 करोड़ दलितों की समस्त सम्पत्ति तराजू के एक पलड़े मे तथा दूसरे पलड़े में अकेले बिड़ला की सम्पत्ति को तोला जाये तो बिड़ला की सम्पत्ति का भार अधिक होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक दृष्टि से 18 करोड़ दलित एक बिड़ला के पासंग में भी नहीं बैठते हैं। फिर कैसे कहा जा सकता है कि देश में सामाजिक व आर्थिक न्याय सभी को प्रदान किया जा रहा है। डी–एस4 जो कि दलित–शोषित समाज का एकमात्र संगठन है और हमारा यह संगठन प्रयत्नशील है कि समता और स्वाभिमान के इस देशव्यापी संघर्ष के माध्यम से ऐसे सभी समदुखी में दलित शोषित समुदाय को सामाजिक व आर्थिक समानता की लड़ाई के लिए उन्हें तैयार करें।

जनसभा में डी–एस4 जागृति जत्था के कलाकार अशोक दास, किशोर कुमार, अशोक कुमार आदि ने जागृति गीतों से जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। मातंग समाज की ओर से नरायण शिरावले ने मा. कांशीराम जी को नीला साफा बांधकर उनका अभिनंदन किया।

सभा को सोहनलाल सोंधिया (भोपाल), अनन्त राव फुले (महात्मा फुले के प्रपौत्र) आदि ने सम्बोधित किया। विजय कुमार कुचेकर ने अतिथियों व उपस्थित जनसमुदाय का आभार व्यक्त किया तथा सभा का संचालन केशव धोलपुरे ने किया।

(बहुजन संगठक, वर्ष 4, अंक 51, 26 मार्च, 1984)

साभार :
मा. कांशीराम साहब
के ऐतिहासिक भाषण खण्ड–2
पेज संख्या 275 से 277 तक
ए. आर. अकेला

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

वैष्णव देवी

धर्म की नींव पर खड़ा किया गया पाखंड हिंदुओं को अपनी गिरफ्त में ले कर सड़ीगली रूढ़ियों के जाल में उलझा रहा है

''अच्छा, तो स्टेशनमास्टर साहब! क्या गुफा में प्रवेश करना वास्तव में अत्यधिक कठिन है?'' मैंने आश्चर्य से पूछा।

''वैसे तुम जैसे युवकों के लिए यह कोई कठिन नहीं हैं, ''जालंधर छावनी के स्टेशनमास्टर ओहरीजी बोले, ''फिर भी यह बहुत कठिन है और हम जैसी उमर वालों के लिए खुद की मौत के मुख में जाने के समान है, मैं इतनी दूर चढ़ कर बड़ी श्रद्धा से गया था लेकिन इन पंडों के ढोंग देख कर मुझे निराशा ही हुई''

''आप को गुफा में कैसा अनुभव हुआ?'' मैंने फिर पूछा

इस का उत्तर देने से पहले वह धीरे से मुस्करा दिए, फिर उन्होंने कहा, ''मुझे गुफा में कैसा अनुभव हुआ, यह मैं जानता हूं और वे क्षण इतने रोमांचपूर्ण थे कि मैं इस का वर्णन नहीं कर सकता, जब मैंने लेट कर गुफा में प्रवेश किया तो मुझे कुछ भय मालूम नहीं पड़ा, लेकिन मैं ज्यों ही थोड़ा आगे बढ़ा तो पांवों में बहने वाली गंगा से मेरे पांव सुन्न होने लगे। फिर भी मैंने साहस न छोड़ा और किसी प्रकार गुफा की दीवारों से रगड़ खाता हुआ मूर्ति के सामने पहुंच ही गया। माता को प्रणाम करके मैं वहीं एक ओर पत्थर पर बैठ गया। यह स्थान कुछ खुला था लेकिन यहां भी अधिक से अधिक पांच आदमी एकसाथ बैठ सकते थे जबकि वहां बैठे व्यक्तियों की संख्या दस से कहीं अधिक थी। अभी मुझे बैठे कुछ ही क्षण हुए थे कि मुझे दम घुटता हुआ मालूम हुआ। मैंने पुजारी से कहा कि वह पहले मुझसे पूजा करवा दे लेकिन उसने मेरी बात पर कोई ध्यान न दिया बल्कि मुझे पानी पीने को कह दिया। मैंने पानी पिया लेकिन इससे कोई फर्क न मालूम पड़ा, मैं ने फिर पुजारी पर जोर डाला तो मेरी घबराहट देख पुजारी ने न जाने मुझ से कितने रूपए ऐंठ लिए। बाहर आने पर मेरे हाथ में प्रसाद के रूप में केवल कुछ पैसे थे।''

''आप के पास उस समय कितने रूपए होंगे?'' मैं ने ओहरीजी से प्रश्न किया।

''यही लगभग तीस चालीस के बीच,'' वह हंसते हुए बोले, ''मैं समझता हूं कि अब हमने काफी आराम कर लिया है इसलिए आगे सफर करना चाहिए।''

मैंने उनसे विदा ली और अपनी राह हो लिया। वह देवी के दर्शन कर चुके थे और मैं करने जा रहा था। रात में वह उसी जगह कुछ देर आराम करने के लिए रूके थे जहाँ मैं रूका था यहीं हमारी मुलाकात हुई थी।

इस समय मैं समुद्र से लगभग तीन हजार फुट की ऊंचाई पर था, पगडंडी के एक ओर ऊंचा पहाड़ था तो दूसरी ओर सैकड़ों फुट गहरी खाई थी। निरंतर घुमावदार चढ़ाई चढ़ते हुए मैं वैष्णव देवी की आधी दूरी तय कर 'आध क्वारी' नामक स्थान पर पहुंचा।

मुझे बताया गया कि यहां की एक 'गर्भ जून' गुफा में प्रवेश करना जरूरी है। मेरे यह पूछने पर कि इससे क्या होगा उत्तर मिला कि गुफा में प्रवेश करने से मुझे अपने पिछले जन्म का पता चल जाएगा, लेकिन मुझे यह किसी को बताना नहीं है अन्यथा देवी का कोपभाजन बनना होगा।

मैं ने इस गुफा में प्रवेश किया, गुफा बिलकुल संकरी थी इसके अंदर घुसने के बाद एक बच्चा भी मुड़कर लौट नहीं सकता। इस गुफा में लेट कर चूहे की तरह आगे बढ़ना पड़ता है। एन.सी.सी. की क्रालिंग (कुहनियों के बल चलना) इससे कहीं आसान है। तीन चार मिनट में ही मैंने गुफा को पार कर लिया, लेकिन मुझे अपने पिछले जन्म का कुछ पता न चला।

बाहर निकल कर अभी मैं सांस भी न ले पाया था कि गुफा में से किसी की चीख सुनाई दी। मैंने सांस भी न ले पाया था कि गुफा में झांका। दस वर्षीया एक बालिका गुफा के पत्थर में उलझ गई थी किसी प्रकार मैंने उसे इससे मुक्ति दिलाई।

गुफा का ध्यान से निरीक्षण करने से यह स्पष्ट पता चल गया कि यह गुफा प्राकृतिक नहीं है, बल्कि पत्थरों को जोड़ कर बनाई गई है। ऐसा क्यों किया गया, यह मैं चाहने पर भी पता न कर सका।

करीब एक घंटा आराम कर चुकने के बाद मैंने अपना बैग संभाला और कंधे पर कैमरा लटकाए फिर आगे के लिए रवाना हुआ। वैष्णव देवी का मंदिर यहीं से अभी छः मील और दूर था।

चलते चलते राह में अंधेरा छाने लगा जो प्रति क्षण अधिक गहरा होता चला गया। बीहड़ जंगल जिस पर अंधेरी रात आसपास कहीं ठहरने को स्थान नहीं। मेरी टार्च की रोशनी भी उस अंधेरे को भेद पाने में असमर्थ थी मेरे साथ न कोई साथी था, न ही कोई अन्य यात्री दल, मेरी दशा उस समय उस सांप की भांति थी जिससे न तो छछूंदर को उगलते बने, न निगलते।

किसी तरह यात्रा समाप्त हुई और मैं नियत स्थान पर पहुंचा सोचा था कि पहुंचते ही खाना खा कर सो जाऊंगा, लेकिन पता चला कि देवी के द्वार खुले हैं, इसलिए अभी स्नान करके दर्शन करना उचित रहेगा, नहीं तो सुबह भीड़ अधिक हो जाएगी और गुफा में प्रवेश करना कठिन हो जाएगा। साथी ही गुफा में भी शीघ्र ही वापस निकलना पड़ेगा। मैं मनचाही फोटो कैमरे में उतारना चाहता था इसलिए इसी समय दर्शन करना उचित जान पड़ा।

मार्ग में उतना अंधेरा नहीं था जितना स्नान करने के स्थान पर था यात्री लोग अपनी अपनी टार्च जलाए स्नान कर रहे थे। मैं ने भी अपनी टार्च अपने बैग के पास जला कर रखी और शीतल पानी में स्नान किया।

नहाने से थकावट जरूर दूर हो गई लेकिन भूख भी सताने लगी मैं ने उचित यही समझा की पहले देवी के दर्शन कर लूं।

जब मैं ने गुफा का खिड़कीनुमा प्रवेशद्वार देखा तो एकाएक ओहरीजी की याद आ गई मै ने जमीन से एकदम सटते हुए अपना सामान संभालते हुए गुफा में प्रवेश किया, द्वार में घुसने के बाद झुक कर चलना पड़ता है पीठ भी पहाड़ से टकरा रही थी और पेट भी मोटे आदमी के लिए उसमें प्रवेश करना असंभव ही था। गुफा में बहुत ठंडा पानी बह रहा था जो चलने में बाधा खड़ी कर रहा था।

किसी तरह रगड़ताघिसटता मैं देवी के सामने जा पहुंचा देखा, कुछ मूर्तियां रखी हुई थी। इन्हीं में से एक वैष्णव देवी की थी अन्य यात्रियों की तरह मैं भी एक ओर हट कर बैठ गया। अभी मुझे बैठे कुछ ही क्षण हुए थे कि किसी ने हांक लगाई, ''अगर किसी का दिल घबराता हो तो वह पानी पी ले।''

मेरा दिल तो नहीं घबरा रहा था, फिर भी पानी पीना मैं ने बुरा न समझा दो चुल्लू पानी पीने के बाद मैंने अपने चारों ओर निगाह घुमाई दीपक की रोशनी जल रही थी मैंने सोचा कि कैसे खतरनाक स्थान पर आ गया हूं। ऊपर नीचे, दाएं बाएं केवल पहाड़ हवा आने के लिए एक भी मार्ग नहीं। अगर मेरा दम घुट जाए तो?

बस यही सोचना मेरे लिए बुरा सिद्ध हुआ ऐसा सोचने से मुझ पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव हुआ और अब वास्तव में मुझे अपना दम घुटता मालूम पड़ा।

मुझे लगा कि अगर कुछ देर मैं यहां और रूका तो फिर कतई न निकल पाऊंगा और यहीं मेरी समाधि बन जाएगी।

ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं ने पुजारी से आग्रह किया कि वह पहले मुझे निपटा दे। लेकिन पुजारी ने मेरी एक न सुनी और केवल गंगा का पानी पीने को कह दिया। मैं ने कुछ क्षण इंतजार किया। पुजारी को अपनी ओर आकर्षित न देख मैंने खुद ही पैसे चढ़ाए और टार्च की सहायता से बाहर की ओर बढ़ा। गुफा में बिजली लगी होने के बावजूद जला कर नहीं रखी गई थी।

अभी गुफा के भीतर आधी दूर ही था कि बाहर से कुछ यात्रियों ने भीतर प्रवेश करने का प्रयत्न किया। एक यात्री के गुफाद्वार पर आते ही यों लगा कि किसी ने बोतल पर डाट लगा दिया हो। थोड़ी अनुनयविनय करने पर यह व्यक्ति वहां से हटा। तब कहीं जाकर मैं बाहर निकल सका।

बाहर आ कर मैं बेहोश सा मंदिर के आंगन में लेट गया। कुछ क्षणों के बाद जब मैं संयत हुआ तो पास ही खड़े एक अन्य पंडे ने मुझ से पूछा, ''माता ने दर्शन दिए?''

''हां,'' मैं ने कहा

''पूजा में क्या कुछ दिया?''

''कुछ नहीं''

''कुछ नहीं!'' वह हैरान हुआ ''फिर यह यात्रा सफल कैसे होगी?''

''अंदर मेरा दम घुट रहा था इसलिए मैं जल्दी ही निकट आया,'' मैं ने उठ कर बैठते हुए कहा।

''खैर, वह पूजा मै करवा दूंगा, तुम 21 रूपए निकालो''

''21 रूपए तो बहुत हैं।''

''अच्छा 11 ही सही, अगर वह पूजा न करवाई तो न यात्रा सफल होगी और न देवी राजी होगी।''

''मुझे पूजा नहीं करवानी,'' मैं ने कहा और उठ कर चल दिया।

पीछे उसे उसके बड़बड़ाने से पता चला कि मैं पापी हूं।

एक बार इच्छा हुई कि पूछूं पापी कैसे हूं, लेकिन भूख ने न पूछने दिया।

ढाबे पर आ कर मैं ने खाना खाया, खाना ऐसा था कि गले में उतरने की बजाय वापस बाहर हो आ रहा था, खाना खाने के बाद लेटने की इच्छा हुई लेकिन कहीं से भी बिस्तर का इंतजाम न हो सका। अंत में अपने बैग से चादर निकाली और किसी प्रकार रात बिताई।

सुबह उठकर मैं ने टट्टू किराए पर लिया। अब मुझ में इतनी शक्ति न थी कि मैं अपने पांवों के सहारे वापस कटरा लौटता। मैं सोच रहा था कि मुझ से तो स्टेशनमास्टर साहब अच्छे जो मुझ से अधिक उमर होने के बावजूद पैदल वापस लौटे थे। मैं ने अपनी बोरियत दूर करने के लिए टट्टू वाले से पूछा, ''क्यों, भई, पुजारी लोग माता को गुफा से बाहर ला कर क्यों नहीं रखते?''

''भक्तजी, माता उसी गुफा में प्रकट हुई थीं इसलिए वहीं रखी जाती हैं''

''तुम्हारा जन्म कहां हुआ था?''

''जम्मू में''

''फिर यहां क्यों आए?''

मेरे इस प्रश्न पर वह चुप रहा। शायद उसके पास कोई जवाब न था।

मैं ट्टटू की सवारी का आनंद ले रहा था इतना दुर्गम रास्ता होने के बावजूद वह बड़ी सावधानी से चल रहा था, वह समझदार था और इसी कारण वह यात्री को कष्ट न देना चाहता था। मैं ट्टटू और पंडों की तुलना करने लगा।

मैं टट्टू की पीठ पर उदास था और कैमरा मेरे कंधे पर उदास था।

साभार :
कितने खरे हमारे आदर्श?
पेज संख्या 296 से 300 तक
सं. राकेश नाथ

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

सन्त गाडगे की जयन्ती के शुभ अवसर पर

महाराष्ट्र के नवजागरण में सन्त गाडगे का योगदान

सन्त गाडगे का जनम शेणें गाँव (अमरावती) में 23 फरवरी सन् 1876 को हुआ था और मृत्यु बलगाँव (अमरावती) के निकट 20, दिसम्बर 1956 को सन् 1905 में 29 वर्ष की उम्र में एक भरा पूरा परिवार छोडकर जो निकले तो फिर लौटकर नहीं आये। अपने 50 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में भीख माँग–माँग कर तथा फावड़ा और खाँची लिए मजदूरो के साथ खट–खट कर जन कल्याण के लिए कार्य किये।

नवम्बर 8 सन् 1956 को बान्द्रा (बम्बई) में किये गये अपने अन्तिम कीर्तिन में सन्त गाडगे ने कहा था कि 'लोग कहते हैं कि सपने में उन्हें भगवान दिखे थे। शंख चक्र गदा, सभी साज समाज के साथ जो वस्तु मन में बैठी रहती है, सपने में वही दीखती है। मेरे बाप को अपने कभी (सपने में) देखा है? नहीं तो जो देखा नही, वह दिखती नहीं ।''

उनके उपरोक्त कीर्तन में एक श्रोता ने सन्त गाडगे को बताया कि भगवान की कृपा से नारायण नामक व्यक्ति ने गाँव में मकान बनवाया है तभी दो व्यक्ति बोल उठे कि भगवान ने उसे बच्चे भी दिये। इस पर सत गाडगे बोले, ''भगवान घर नही देता घर मनुष्य से बनाता है। घर मनुष्य बनाता है पर ये अनाड़ी भगवान को घर बनाने का श्रेय देते हैं''

सन्त गाड़गे मानवीयता और करूणा के जीते जागते प्रतीक थे। वे कहा करते थे ''भगवान न तो तीर्थ में है न मूर्ति में। यह तो दरिद्रनारायण के रूप में स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा है। उसकी प्रेम से सेवा करो। यही आज का सच्चा धर्म है। यही सच्ची भक्ति और भगवान की पूजा है।

सन्त गाडगे महाराष्ट्र के वारकरी सम्प्रदाय के अन्तिम मणि थे। प.ह. पाटिल के अनुसार सन्त तुकाराम के बाद महाराष्ट्र लोक प्रियता सन्त गाडगे को मिली। यशवन्त राव चव्हाण ने उनकी गणना भारत के महान सन्तों और मनीषियों में की है। नागपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति डॉ. वि.भी कोलते ने यदि उन्हें एक अलौकिक विभूति निरूपित किया है तो आचार्य केचे ने

उनके स्वयं में एक सेना तथा विद्यापीठ बताया हैं। सन्त गाडगे की अंग्रेजी जीवनी के लेखक शेरवाड़कर ने उन्हें एक चमत्कार की संज्ञा दी है। पत्रकार के.सी. ठाकरे का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता के मन में सन्त गाडगे के लिए जो आदर है वह समुद्र की तरह अथाह और अमिट है। पत्रकार, साहित्यकार और फिल्म निर्माता डॉ. पी.के. अत्रे ने लिखा हे कि गिरे हुए और अनाथों के लिए सन्त गाडगे भगवान के साक्षात अवतार थे। मराठी के चोटी के उपन्यासकार गो.नि. दांडेकर ने उनका सटीक मूल्यांकन करते हुए लिखा है, हाथ में जलती मशाल लिए बाबा जीवनभर दौड़ते रहे। कभी उसे बुझने नहीं दिया न ही उस पर कभी कालिख जमने दिया।'

बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानसिक स्वतंत्रता और मानवीयता से प्रेरित नवजागरण 14वीं सदी के मध्य में इटली में आरम्भ हुआ। इससे जर्मनी में धार्मिक सुधार आन्दोलन का फ्रांस में सन् 1789 की क्रान्ति का और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ।

भारत में नवजागरण 19वीं शताब्दी के आरम्भिक दशक में प्रारंभ हुआ और बंगाल के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। पश्चिमी भारत में यह लहर 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में आयी जिससे वहाँ का सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन आन्दोलित हुआ। उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में नवजागरण ने आध्यात्मिक और धार्मिक धारण किया।

महाराष्ट्र में नवजागरण के सभी नेताओं का उद्देश्य एक ही था। ऐसे समाज की स्थापना जिसमें सभी वर्गो के लोग सुख से और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। पर मंजिल और मार्ग अलग–अलग थे। यदि उनमें से कुछ ने पारिवारिक मान्यताओं और विसंगतियों के उन्मूलन को ही प्राथमिकता दी तो कुछ समाज के समूचे ढ़ांचे में आमूल परिवर्तन के पक्षपाती थे। कुछ नेताओं ने सामाजिक सुधार को सर्वोपरि माना तो कुछ की मान्यता थी कि विदेशी शासन से छुटकारा पायें बिना सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं।

छुटकारा पायें बिना सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं।

न्यायमूर्ति रानडे, जिन्हें कुछ लोग महाराष्ट्र में सामाजिक चेतना का जनक मानते हैं, सर्वागीण सुधार के लिए प्रयत्नशील थे । फिर भी उनका मत था कि सामाजिक समस्याएं हमारी अपनी देन हैं। अतः इनके निराश के लिए हमें स्वतंत्रता प्राप्ति तक रुके रहना अनिष्ट नहीं है अतः वे और उनके सहयोगी जिनमें डॉ. आर.जी. भांडरकर, विष्णु शास्त्री पंडित, गोपाल हरि देशमुख (लोक हितवादी) प्रमुख हैं, वे बाल विवाह, विधवाओं का मुंडन, दिखावट के लिए फिजूल खर्ची को रोकने के लिए प्रयास करते रहे। महाराजाओ में सयाजी राव गायकवाड़ और साहू जी छत्रपति तथा सामान्य जनों में गोपाल राव जोशी, बी.एम. मालावारी, एच.एन आप्टे, कर्मवीरी भऊराव पाटिल, पंडित रामावाई, महर्षि कर्वे इत्यादि इसी श्रेणी में आते हैं। पर अपने समय के तेजस्वी जन नायक लोकामन्य तिलक, ओजस्वी लेखक विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और वीर सावरकर का मत था कि सभी विपदाओं की जड़ ब्रिटिश सरकार है, जिससे यथाशीघ्र मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इनमे अलग ऐसे नेताओं का एक दल था जिनका विश्वास था कि समाज ढ़ांचे में बिना मूल चूल परिवर्तन के मानवीयता का विकास संभव नहीं। महत्मा ज्योतिबा फुले तथा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर इस धारा के प्रतिनिधि नेता हैं। सन्त गाडगे, तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, साने गुरुजी और डॉ. पी. के. अत्रे इनके नजदीक आते हैं।

सन्त गाडगे पढ़े–लिखे नहीं थे। अतः अपने लक्ष्य प्राप्ति–अन्धविश्वास, चमत्कारों में विश्वास और वर माँगने की प्रवृत्ति अशिक्षा और तरह–तरह की सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए उन्होंने लोकप्रिय कीर्तन का मार्ग अपनायां अपनी पकी आवाज और श्लोकों तथा पदों के अथाह–भंडार के कारण शीघ्र ही वे एक सफल कीर्तनकार बन गये।

सन्त गाडगे अन्धविश्वास पर तीव्र प्रहार करते नहीं थकते थे। वे कहते थे कि सन्तान प्राप्ति ओर बीमारी ठीक होने के लिए लोग मन्नत मानते, मंदिरों ओर देवघरों का चक्कर लगाते और झाड़–फूंक कराते फिरते हैं लेकिन सन्तान को पाने के लिए वर–वधु की जोड़ी अच्छी होनी चाहिए और बीमारी से छुटकारे के लिए इलाज करना चाहिए। वे लोगों से पूछते कि क्या देवघर लगाने वाले के घर के लोग नहीं मरते? जब वे अपने ही लोगों को नहीं बचा पाते तो तुम्हारा रोग कैसे ठीक कर पाएंगे ? वह तीर्थ यात्रा का भी खंडन करते थे और मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए वे कहते कि जो मूर्ति स्वयं स्नान नहीं कर पाती, कपड़ा नहीं पहन सकती, भोजन नहीं कर पाती, प्रसाद जूठा कर रहे कुत्ते को भगा नहीं पाती और अन्धेरे में जिसका दर्शन कराने के लिए दीपक की जरुरत पड़ती है, उसे भगवान कैसे मान ले? फिर वे पूछते थे कि क्या ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किये गये सत्याग्रहो में किसी मंदिर का देवता भाग लेने आया ?

चमत्कार मानने की प्रवृति अपरिपक्व और अविकसित मस्तिष्क का दूसरा लक्षण है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि प्रत्येक घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, जिसके मालूम न होने पर लोग चमत्कार गढ़ लेते हैं। सन्त गाडगे ने जीवन भर इस प्रवृत्ति का घोर विरोध किया, पर चमत्कार में विश्वास रखने वालों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उनके जीवन काल में ही कुछ लोग मानने लगे थे कि कीर्तन के बाद वे हवा में विलीन हो जाते हैं, हवा में तैरते हुए सैकड़ों मील चले जाते हैं। और एक ही समय वे कई स्थानों पर देखे जाते हैं। सन्त गाडगे बराबर कहा करते थे कि ये कोरी कल्पना है। कीर्तन के बाद वे किसी अन्धेरी जगह में छिप जाते थे ताकि पांव छूने के लिए लोग तंग न करें। अनपढ़ होने के कारण लोगों तक पहुँचने के लिए भाग–दौड़ उनके लिए नितान्त जरूरी था। वसन्त शेरवाड़कर ने सन्त गाडगे की जीवनी दि वांडरिंग सेंट में यह बताते हुए कि वे जीवन भी चमत्कार का विरोध करते रहे सन्त गाडगे का एक कथन उद्धृत किया है जिसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है– यदि कोई गुप्त शक्ति से किसी को नष्ट कर दे तो अवश्य ही उसका स्थान भगवान से भी ऊँचा होना चाहिए। क्या ऐसे आधे दर्जन लोगों को युद्ध के मैदान में उतार देना पर्याप्त नहीं होगा जो अपनी इस प्रकार की शक्ति से राइफल, बन्दूक और बम सभी को ही नाकाम कर दें।''

सन्त गाडगे स्वयं निरक्षर होते हुऐ भी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अपनी उपरोक्त कीर्तन में शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा था – ''अभी से बच्चों को पढ़ाओ। कहते हो पैसा नही हे तो खाने की थाली बेच डालों, हाथ पर रोटी खाओं। पत्नी के लिए कम कीमत की साड़ी खरीदो। समधी की खातिरदारी मत करो। पर बच्चों का पाठशाला में डाले बिना न रहो।''

शिक्षा की प्रगति और प्रसार के लिए सन्त गाडगे ने ठोस काम भी किया। अपने जीवन काल में उन्होंने 31 शिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना की थी जिसमें 10 आश्रम, स्कूल 8 आदिवासियों के लिए ओर विमोचित जातियों और घुमन्तु जातियों के लिए एक–एक, 15 छात्रावास 11 लड़को ओर 4 लड़कियो के लिए, एक कन्या पाठशाला, एक महिला आश्रम, दो संस्कार केन्द्र, एक उच्चतर विद्यालय और एक महाविद्यालय हैं। इनमें अधिकांश दूर–दराज के जंगली इलाकों में हैं।

अपने कीर्तनों और प्रवचनों मे सन्त गाडगे बराबर जोर देते थे कि लोग अध्यावसाय करें और फिजूल खर्ची को बन्द करें। वे किसानों से कहते थे कि अच्छी पैदावार लेने के लिए वे कड़ी मेहनत, अच्छी खाद और अच्छे बीज खेती के अच्छे औजार का उपयोग करे। पानी की उचित व्यवस्था करें और खेत से गन्दगी निकाल फेंके। अपने उक्त कीर्तन में उन्होंने कहा था कि बम्बई के एक–एक व्यक्ति के पास सौ–सौ कमरे वाले दस–दस मकान हैं और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास एक कमरा भी नहीं है। वे लोगों से कहते थे कि कर्ज निकाल कर ठाठ–बाट से दिवाली न मनाएं, कर्ज काढ़ कर धर्म न करें और तीर्थ पर न जाएं। यही नहीं वे यह भी सलाह देने से बाज नहीं आते थे कि यदि घर में कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो कर्ज लेकर उसकी लाश न सजाएं, उसकी जली हड्डी को दूर गंगा में प्रवाहित न करे या उसके दसवें पर लोगों को भोजन न खिलाएं उनका विचार था कि मृत व्यक्ति की जली हड्डी को गंगा में प्रवाहित करने से पुण्य नहीं होगा, ओर न नाली में फैंक देने से पाप।

– सुनीता धीमान
414/12, शास्त्री नगर, कानपुर

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

द्रविड़ भारत की ओर से ''संत रविदास जयन्ती''
के उपलक्ष्य में समस्त सम्मानीय पाठकगणों को हार्दिक शुभकामानएं

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।